Iyyunni, Shri C. R.
Jagjivan Ram, Shri
Jain, Shri A. P.
Jayashri, Shrimati
Jena, Shri Niranjan
Jethan, Shri
Joshi, Shri N. L.
Kakkan, Shri
Karmarkar, Shri
Katham, Shri
Kazmi, Shri
Keshavaiengar, Shri
Keskar, Dr.
Khongmen, Shrimati
Khuda Baksh, Shri M.
Krishna Chandra, Shri
Krishnamachari, Shri T. T.
Lal, Shri R. S.
Lallanji, Shri
Laskar, Shri
Mahodaya, Shri
Majhi, Shri R. C.
Malaviya, Shri K. D.
Mandal, Dr. P.
Masuodi, Maulana
Masuriya Din, Shri
Mishra, Shri L. N.
Mishra, Shri Lokenath
Mishra, Shri M. P.
Misra, Shri B. N.
Misra, Shri R. D.
Mohd. Akbar, Sofi
Morarka, Shri
Mushar, Shri
Naskar, Shri P. S.
Nehru, Shrimati Uma
Neswi, Shri
Palchoudhury, Shrimati Ila
Pannalal, Shri
Parmar, Shri R. B.
Patel, Shri B. K.
Pillai, Shri Thanu
Rachiah, Shri N.
Radha Raman, Shri
Raghubir Sahai, Shri
Raghunath Singh, Shri
Raghuramaiah, Shri
Ram Dass, Shri
Ram Saran, Shri
Ram Subhag Singh, Dr.
Ramaswamy, Shri S. V
Ranbir Singh, Ch.
Richardson, Bishop
Sahu, Shri Rameshwar
Saigal, Sardar A. S
Sanganna, Shri
Satish Chandra, Shri
Sen, Shrimati Sushama
Sawal, Shri A. R.
Sharma, Shri D. C.
Sharma, Shri R. C.
Shastri, Shri Algu Rai
Shukla, Pandit B.
Siddananjappa, Shr
Sinha, Shri G. P.
Sinha, Shri Nageshwar Prasad
Snatak, Shri
Subrahmanyam, Shri T.
Suresh Chandra, Dr.
Swamindhan, Shrimati Ammu
Tek Chand, Shr.
Thimmaiah, Shri
Thomas, Shri A. M.
Tiwary, Pandit D. N.
Uikey, Shri
Vaishnav, Shri H . G
Vaishya, Shri M. B
Verma, Shri M. L.
Venkataraman. Shri
Vyas, Shri Radhelai
Wodeyar, Shri

The motion was negatived.

RESOLUTION *RE* RESERVATION OF PRODUCTION OF SAREES AND DHOTIES FOR HANDLOOM INDUSTRY

Mr. Deputy-Speaker: Shri Sadhan Gupta—absent. We will now take up the resolution of Shri Sivamurthi Swami.

Shri Sivamurthi Swami (Kushtagi): Sir, I beg to move the following resolution:

> "This Hosue is of opinion that with a view to giving a fillip to the Handloom Industry, the production of all *Sarees* and *Dhoties* should be reserved for that Industry."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अपनी खुश किस्मती समझता हूं कि दो साल तक बराबर प्रयत्न करने के बाद और अपना रेजोल्यूशन इस विषय पर डालने के बाद मेरी लक ने फेवर किया और मुझे अपने रेजोल्यूशन को हाउस के सामने रखने और उस पर बोलने का अवसर मिला। इस मौके पर मैं अपनी तमाम जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए हाउस के सामने यह अपना प्रस्ताव उस की मंजूरी के लिये पेश कर रहा हूं।

जहां यह चीज दुरूस्त है कि इंसान की जिन्दगी के लिये खाना, कपड़ा और मकान ये तीन जरूरी चीजें हैं वहां यह बात भी दुरूस्त है कि कपड़ा देश की एकोनामी में एक बहुत अहम स्थान रखता है और जब तक इसका समुचित प्रबन्ध नहीं होता तब तक मुल्क के लिये कोई इन्तजाम करना बेकार है।

अब मैं इस विषय पर आता हूं और मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें जुलाहे लोगों की यह हैंडलूम इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्रीज में एक बहुत अहम इंडस्ट्री समझी जाती है। मैं हाउस को यह भी बतलाना चाहता हूं कि तकरीबन् एक करोड़ आदमी इस हैंडलूम इंडस्ट्री के सहारे अपनी जिन्दगी बसर करते हैं।

खास तौर पर बहुत कदीम जमाने से हिन्दुस्तान भर में सिर्फ वही लोग कपड़ा

सप्लाई करते थे, लेकिन एंजिन और बहुत सी मैशीनरी के हमारे देश में आने के बाद साल ब साल उन लोगों के प्रोडक्शन में कमी होती गई और आज स्थिति यह है कि सन् १९४१ से ले कर आज तक उन को करीब एक तिहाई रोजगार ही मिलता है । हालांकि वह २८ लाख लूम्स हैं फिर भी वह सिर्फ एक तिहाई प्रोडक्शन ही करते हैं । एक महीने में कुल दस दिन काम करते हैं और बीस दिन बेकार रहते हैं । सिर्फ एक महीने में दस दिन काम करने से उन को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है कि उस को सिर्फ उन के बीच में रहने वाले ही समझ सकते हैं ।

इस के बाद मैं सिर्फ साड़ी और धोती को उन के लिये रिजर्व करने की अहमियत और उन को अपना सारा कपड़ा बनाने देने के जरूरी विषय पर आता हूं । यह साफ जाहिर है कि कदीम जमाने से हर किस्म का कपड़ा इस हैंडलूम इंडस्ट्री में बनता था । कुछ दिन के बाद इस हैंडलूम इंडस्ट्री ने अपना बहुत कुछ हिस्सा मिल इन्डस्ट्री को दे दिया । बाद में हैंडलूम इंडस्ट्री सिर्फ साड़ी और धोती बनाया करती थी, लेकिन जब सन् १९४८ में धोतियों और साड़ियों की बहुत कमी महसूस हुई तो साड़ी और धोती के बुनने के लिये भी गवर्नमेन्ट ने अहकाम जारी कर दिये । कमिश्नर ने साड़ियों को मिल्स से बनवाने की सोची । उस के बाद इस पर भी एन्क्रोचमेन्ट हुआ । इस से हैंडलूम वीवर्स को इतनी तकलीफ है जितनी कि शायद ही किसी और विलेज इन्डस्ट्री को हो रही होगी। जो लोग मेरी तरह विलेजेज से आते हैं वह जानते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा बेकारी हो गई है और लोग भिखारी हो गये हैं । जो लोग काम करने वाले होते हैं, प्रोडक्शन करने वाले होते हैं उन की रोजी का भी कोई ठिकाना नहीं रहा है । अंगरेजों ने अपनी मशीन को हिन्दुस्तान में ला कर और यहां के लोगों को धोखा देने की गरज से काफी अन्याय किया । जो लोग ढाके की मलमल बनाने वाले थे, उन के हाथ कटवा लिये थे । अब जब हम लोग आजाद हो गये हैं और सात सालों से अपनी नेशनल गवर्नमेन्ट को प्रजातंत्री सिद्धान्त पर चला रहे हैं, मैं गवर्नमेन्ट से यह बात पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सच नहीं है कि आज दस सालों से इन वीवर्स की तकलीफ बढ़ती जा रही है, हर साल तकलीफ बढ़ती ही जा रही है। हमारे देश में जो एलियन गवर्नमेन्ट, अंगरेजों की गवर्नमेन्ट थी उस ने कांग्रेस वालों के और लीडरों के कहने पर एक कमेटी बैठाई जिस को कि फैक्ट फाइन्डिंग कमेटी कहते हैं । उस ने एक रिपोर्ट पेश किया और सन् १९४२ में हैंडलूम के लिये रिजर्वेशन करने के लिये भी सिफारिश की । लेकिन उस जमाने में जो गवर्नमेन्ट यहां पर काम करती थी उस ने कुछ इस सिलसिले में नहीं किया । यही नहीं कि इस के लिये कुछ नहीं किया बल्कि उस के बाद मिल इन्डस्ट्री को प्रोटेक्शन का भी भरोसा दिया । यह प्रोटेक्शन मिल इन्डस्ट्री को एक साल से नहीं, दो साल से नहीं बल्कि पचास साल से मिल रहा है । मैं यहां पर यह साफ कर देना चाहता हूं कि मैं मिल इन्डस्ट्री के खिलाफ नहीं हूं । मिल इन्डस्ट्री भी चले और हैंडलूम इन्डस्ट्री भी चले, लेकिन एक दूसरे की सहायक बन कर चलें, दुश्मन बन कर न चलें । यही मेरी प्रार्थना है ।

मंत्री महोदय से मुझ को यह शिकायत है कि आज हैंडलूम इन्डस्ट्री को जितनी तकलीफ हो रही है उतनी तो अंगरेजों के जमाने में भी नहीं थी । न हमारे भाई इतनी तकलीफ उठाते थे न हमारी बहनें इतनी तकलीफ उठाती थीं । जब मैं आज कल अखबारों में पढ़ता हूं कि इतने हैंडलूम का काम करने वाले बेकार हो गये हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है । अक्सर रात में पूंजीपतियों के घर में लोग भिक्षुक बन कर आते हैं, और उन में ज्यादातर औरतें होती हैं, ताकि उन को एक रोटी खाने के लिये मिल जाय । रोज ही ऐसा होता रहता है । मेरे पास एक अखबार है जो कि कन्नड़ भाषा में है । जो हमारे कामर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं वह इस को समझ सकते हैं । जब कभी कोई जुलाहा मर जाता

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

हैं तो उस को दफन करने के लिये गल्ले वालों को पैसा जमा करना पड़ता है, और वह मर जाता है भुखमरी से क्योंकि उसको खाने को नहीं मिलता है। औरतें मरती हैं और कभी २ तो वह अपने बच्चे को गोद में ले कर कुएं में कूद कर मरती हैं। आज हैंडलूम इन्डस्ट्री के जो जुलाहे लोग हैं वह बेकार हो रहे हैं। गांवों में हाहाकार मचा हुआ है। मैं यह अखबार पढ़ता हूं जो कि हमारे यहां जुलाहों के एक जल्से के बारे में है :

"रामदुर्गद नेकारनोब्ब कूलु इल्लदे सत्तनु" नेकारर निरुद्योग समस्ये एष्टु भीकरवागिदे बेंबुदर प्रत्यक्ष निदर्शवेंदरे, इल्लिय नेकारनाद बसप्पा देवींद्रप्पा कठारी एंबवनु रामदुर्गद राधापूर पेटेयल्ली कूलु इल्लदे सत्तु होदनु। आतन मण्णगे कूड हण इल्लदिरद आ ओणिवरे पट्टी हाकी मणु माडिदरू। इंतह अनेक उदाहरणगल जरगहत्तिद्दरिद इल्लिय नेकार समाजवेल्ल हाहारी होगिदे"

("Kannadiga"—Weekly of Hugli 26-4-1954).

मतलब यह है कि वहां पर लोग इस स्थिति में आ गये हैं कि वह और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप एक करोड़ इन्सानों की जिन्दगी के साथ खेलना चाहते हैं या उन को किसी किस्म इन्टेरिम रिलीफ देना चाहते हैं? मुझे मालूम है कि साड़ी और धोती को उन के लिये महफूज कर देने से बहुत जमाने के लिये उनकी जिन्दगी सुखमय नहीं बन सकती है, लेकिन इस इन्टेरिम रिलीफ के देने से उन को बहुत फायदा हो सकता है और यह उन को मिलना चाहिये। इस के खिलाफ यह कहा जाता है कि रेट्स हायर हो जाते हैं और यह लोगों के टेस्ट के खिलाफ हो जाता है लेकिन मैं इस के लिये यह कहना चाहता हूं कि कोई भी हायर रेट्स बनायें, यह ८० फीसदी से ज्यादा नहीं होता है। यहां पर एक बिल हमारे मंत्री महोदय लाये और पास कराया जिस का नाम था "धोतीज एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बिल"। मैं कहता हूं कि यह बिल एक हाफ हार्टेड बिल है। सिर्फ धोती के लिये रिजर्वेशन है और वह भी महज ६० परसेन्ट। मैं यहां पर माननीय मिनिस्टर साहब के शब्दों को रखना चाहता हूं जो कि उन्होंने इस के सम्बन्ध में कहे थे :

"The House would be aware that some time towards the end of November 1952, the Government issued an order, asking the mills to restrict their production of dhoties to 60 per cent. of their production during the year ending 31st March 1952. This was done, especially with a view to helping the handloom industry. In taking this period, the Government chose a period where the overall production of the country has been the highest, roughly about 50,000 bales a month, as against an estimated demand of 45,000 bales. We fixed the quota at about 60 per cent., *viz.* 30,000 bales a month. We felt that in actual fact, the reduction would be limited to the extent of 33 1/3 per cent., and not 40 per cent. ....".

यह सिर्फ हमको धोखा देने के लिये है। ऐसे बिल को ला कर हम अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं। हम इतना ज्यादा मारजिन दे रहे हैं। मिल वाले आपसे बहुत ज्यादा होशियार हैं। वह इस बिल को जेब में डाल लेते हैं। अगर आप चाहते तो इसमें बहुत कुछ तरमीम कर सकते थे अगर धोतीज और साड़ीज के लिये २० या ३० पर्सेंट का मारजिन रखते। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट की हिफाजत की जाय। लेकिन आपके पास इसका क्या जवाब है कि आप हिन्दुस्तान की मिल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देते रहे हैं। अगर आप कंज्यूमर का ही इंटरेस्ट रखना चाहते हैं तो क्यों नहीं आप जापान का कपड़ा यहां आने देते। जिस तरह आप मिल इंडस्ट्री को बाहर के कम्पीटीशन से प्रोटेक्शन दे रहे हैं उसी तरह से आप मिल इंडस्ट्री के मुकाबले में हैंडलूम इंडस्ट्री को क्यों प्रोटेक्शन नहीं देते हैं।

यह करना जरूरी होगा । और यह प्रोटेक्शन आप साड़ी और धोती को महफूज करके ही दे सकते हैं । अगर आप धोती और साड़ी को पूरे तौर पर बन्द नहीं करना चाहते और कुछ कनसैशन ही देना चाहते हैं तो मैं यहां तक आने को तैयार हूं, जैसा कि मेरे चन्द भाइयों ने अमेंडमेंट दिया है, कि २० या ४० काउंट तक का प्रोडक्शन सिर्फ हैंडलूम के लिये महफूज कर दिया जाय । ४० से ऊपर मिल वाले कर सकते हैं । मैं यह अमेंडमेंट मानने के लिये तैयार हूं । अगर आप इतना भी नहीं मानेंगे और इसको अधूरा छोड़ देंगे तो आप एक करोड़ इन्सानों को धोखा देंगे जिनको प्रोटेक्शन देना जरूरी है । यही लोग पहले धोती और साड़ी बुनते थे । इस सिलसिले में मैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की सिफारिश आपके सामने रखना चाहता हूं । आल इंडिया हैंडलूम बोर्ड अपनी ब्रीफ सर्वे रिपोर्ट के पेज २५ पर कहता है :

"Some sort of reservation should be made for the handloom weavers. Such reservation, however, must be based on mutual agreement between the mills and the handlooms. In our opinion such agreement would be possible if the mills agree not to weave any goods of plain weave with the width of from 25" to 50" and a length of from 1½ yards to 9½ yards per piece, divided by headings across the width at a length-wise distance of less than 9½ yards and with borders, the grounds of such articles not being distinguished with any stripes or checks—woven, developed by different counts of yarn or by bleached, coloured or printed yarn."

यह सिफारिश फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सन् १६४२ में की थी । उस वक्त ब्रिटिश का जमाना था और वह मिल इंडस्ट्री को दबाना नहीं चाहते थे । लेकिन जो आपकी कमेटी एपाइंट हुई वह भी, दी आल इंडिया फर्स्ट एन्युअल रिपोर्ट में यही कहती है ।

"(a) Pending the Report of the Textile Enquiry Committee, Government should consider the feasibility of reserving production of bordered dhoties and sarees made out of 20s to 40s yarn for the handloom industry, and the feasibility of preventing powerlooms from manufacturing these items.

(b) In view of the increasing rate of production of mill-made cloth the Government should consider making an announcement that the Textile Mill Industry may not produce more than 4,800 million yards of cloth a year, the target fixed by the Planning Commission."

और इसके जवाब में कहते हैं कि किस वास्ते हम इसको नहीं ले सकते :

Because they wish to await the recommendations of the Textile Enquiry Committee. The recommendation has also not been accepted. as the Planning Commission's figure is only a target and not an absolute goal.

लेकिन आपको यह भी साफ जाहिर है कि पर कैपिटा कंजम्पशन तकरीबन ६.२ है । यह इसलिये है कि हमारी परचेजिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है । हम एक दिन में १४ या १५ गज से ज्यादा नहीं बना सकते । इस रेट पर हम अपने मुल्क की पूरी जरूरियात के लिये कपड़ा बना सकते हैं । इससे ज्यादा कपड़ा बनाने की इजाजत देना इन गरीब इन्सानों से यह कह देना है कि हम हैंडलूम इंडस्ट्री के लिये कुछ नहीं कर सकते और कुछ नहीं करना चाहते । हैंडलूम बोर्ड वालों ने जो प्रयत्न किया है हम उसके लिये शुक्रगुजार हैं लेकिन हम यह पूछना चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनकी सिफारिश पर अमल क्यों नहीं करती। हैंडलूम इंडस्ट्री बोर्ड ने बहुत सी स्कीम्स बनाई हैं । जो आपने को-आपरेटिव की स्कीम बनाई है उसके लिये भी धन्यवाद । फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि मैनेजिंग एजेंसी वाले एक्स्ट्रा प्रॉफिट करके कीमत को बहुत बढ़ा देते हैं । लिहाजा उसको आपको देखना होगा । आपको यह भी देखना होगा कि बंगाल

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

के एक कार्टेज इंडस्ट्री के डाइरेक्टर ने प्रैक्टिकली काम करके बताया है कि हम प्राइस को कम कर सकते हैं। हम मिल से कम्पीट कर सकते हैं। और मिल से कम नहीं तो हम मिल के बराबर प्राइस ला सकते हैं। अपनी दलील पेश करते हुए उन्होंने कहा है :

"The Surat Chamber of Commerce puts the price disadvantage due to this margin, from which the handloom suffers in comparison with the mills, at between 5 and 10 per cent. in respect of yarn and at between 3 and 6 per cent. in respect of the finished product."

इस पर यह परसेंटेज कम हो सकता है और उन्होंने डिटेल भी दी है :

The Registrar of Co-operative Societies, Bengal, estimates 1½ annas to 3 annas in the rupee."

यह हम कम कर सकते हैं।

Mr. Deputy-Speaker: He may finish by 1:15.

श्री शिवमूर्ति स्वामी : तो इस तरह हम कीमत कम कर सकते हैं। यह तभी हो सकता है जब आप काटन ग्रोइंग एरियाज में कोआपरेटिव मिल्स बनावें। आप दलील पेश करते हैं कि बंगाल के मिल वाले और गवर्नमेंट और पब्लिक नहीं चाहते। अब बम्बई और अहमदाबाद में यह इंडस्ट्री सेंट्रलाइज हो गई है। वहां दूर से कपास आता है। मैं कर्नाटक को रिप्रेजेंट करता हूं। मेरे यहां से वहां कपास जाता है और फिर तागा बन कर वापस आता है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में दिया हुआ है कि इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। मेरे पास बहुत कुछ कहने को है लेकिन वक्त कम है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि काटन ग्रोइंग एरियाज में अगर आप कोआपरेटिव मिल्स बनाएंगे तो उसके बाद यह दिक्कत दूर हो सकती है। कोआपरेटिव एफर्ट के जरिये हम हर आइटम पर कीमत को बहुत कम कर सकते हैं।

इसके बाद ज्यादा न कहते हुए मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो हैंडलूम इंडस्ट्री का साड़ी और धोती का सवाल है इसको आपको सोचना चाहिये और इंटेरिम रिलीफ के बतौर आपको इसका प्रोडक्शन एक दम बन्द करना होगा। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि यह हमारे मुल्क की और हमारे भाइयों की बदकिस्मती है। लेकिन अगर आप यह समझते हैं कि जो कुछ हमने कागज पर कर दिया है उससे विलेजेज में सब कुछ हो जायगा तो ऐसा नहीं है। मैं यह भी साफ कर देना चाहता हूं कि जहां पर हैंडलूम सेंटर्स हैं वहां पर अब मिनिस्टरों ने जाना छोड़ दिया है क्योंकि अगर वह वहां जाते हैं तो लोग उनके सामने अपनी तकलीफों को रखते हैं। मैं करमरकर जी से...

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): हम लोग बार बार जाते हैं। और वापस भी आते हैं।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : अगर आप जाते हैं तो जितनी तकलीफ वहां है वह भी जानते होंगे। अगर हम उनके लिये कुछ नहीं करेंगे तो हम अपनी इंडस्ट्री को धोखा देंगे। लिहाजा मैं और ज्यादा न कह कर इतना ही कहता हूं कि यह जो मौका मिला है इसका फायदा उठा कर आप चाहें तो इस रेजोल्यूशन को स्वीकार कर सकते हैं। मेरी इतनी ही विनती है।

Shri Raghunath Singh (Banaras Distt.—Central): I have got one amendment.

Mr. Deputy-Speaker: The following Resolution is moved. I will first place the Resolution before the House. Resolution moved:

"This House is of opinion that with a view to giving a fillip to the Handloom industry the production of all Sarees and Dhoties should be reserved for that Industry."

There are two amendments, one by Shri Gadilingana Gowd and the other

by Shri Raghunath Singh. Shri Gadilingana Gowd is not in his seat and, so, that amendment is not moved.

Shri Raghunath Singh: I beg to move:

That for the original Resolution the following be substituted, namely:

"This House is of opinion that with a view to encourage and develop handloom industry and root out the prevailing unemployment among the weavers, specially of the rural areas, the production of silken cloth, bedsheet, towels and all *Sarees* and *Dhoties* upto 30 counts should be reserved for the said industry."

Mr. Deputy-Speaker: The House will now stand adjourned till 8-15 A.M. tomorrow.

The House then adjourned till a Quarter Past Eight of the Clock on Saturday, the 1st May, 1954.